न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – दिव्यराज सिंह चुण्डावत, (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2024	09.07.2024	05-05-2025

उनवान

1. लादूराम पुत्र मगना जाति खटीक आयु 48 वर्ष निवासी पुरानी धानमण्डी, पंचमुखी रोड़ भीलवाड़ा (राज०)
2. लादीदेवी पुत्री मगना जाति खटीक आयु 56 वर्ष निवासी दादाबाड़ी, पंचमुखी मार्ग, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. गणपत पुत्र नानु जाति खटीक आयु वयस्क निवासी 171 पंचमुखी रोड, खटीक मोहल्ला, खटीक मन्दिर के पास, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. श्यामलाल पुत्र बंशीलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी पंचमुखी रोड, खटीक मोहल्ला भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रतनलाल पुत्र बंशीलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी राधाकृष्ण मन्दिर के पास, पंचमुखी रोड़ भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज०)

—— प्रत्यर्थीगण

विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 983 निर्णय दिनांक 14.05.2022
ग्राम पंचायत सुवाणा अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थिति–

1. अपीलार्थीगण अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार सेन उपस्थित।
2. प्रत्यर्थीगण संख्या 01, 02 व 03 उपस्थित।
3. प्रत्यर्थीगण 04 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण ने अपनी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अन्तर्गत मामलें में अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) के समक्ष ग्राम ईरास नई प०ह० सुवाणा तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, 3593 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर, 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर कुल किता 05 कुल रकबा 2.9210 हैक्टेयर का रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र के आधार पर पटवारी हल्का सुवाणा ने नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 14.05.2022 को भर कर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें भू–अभिलखेख निरीक्षक ने भी किसी प्रकार की जॉच व तहकीकात नहीं कर, पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को सही मानकर दिनांक 20.05.2022 को अपनी जॉच रिपोर्ट में, जॉच की, रजिस्टर्ड रिलीज डीड अनुसार अंकन सही है कि रिपोर्ट की गई व उक्त नामान्तकरण संख्या 983 को स्वीकृत कराया जाने हेतु पटवारी हल्का ने अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) ने भी किसी प्रकार की जॉच व तहकीकात नही कर, पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को एवं उक्त नामान्तकरण पर की गई भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर, अधिनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) ने उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि का खाता प्रत्यर्थीगण के नाम पर स्वीकृत कर दिया, जबकि अपीलार्थीगण ने आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकचा 1.7071 हैक्टेयर भूमि में अपने हक व हिस्से के बाबत् किसी प्रकार का रजिस्टर्ड हक परित्याग पत्र या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है, अपीलार्थीगण के द्वारा आराजी नम्बर 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, 3593 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 1.2013 हैक्टेयर भूमि अपने हक व हिस्से का हक परित्याग किया था किन्तु पटवारी हल्का ने हक परित्याग पत्र में आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि का अंकन नहीं होने के बावजूद भी नामान्तकरण में आराजी नम्बर 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, 3593 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर के साथ आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर का अंकन कर सम्पूर्ण भूमि के खाते का नामान्तकरण प्रत्यर्थीगण के नाम खोल दिया गया, गलत नामान्तकरण स्वीकृत होने की जानकारी हाल ही में अपीलार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने हेतु अपने खाते की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया की, कि गलत नामान्तकरण के आधार पर अपीलार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को प्रत्यर्थीगण के नाम दर्ज कर दी है, जिससे नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई, जिससे नामान्तकरण संख्या 983 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण की और से यह अपील निम्न उजरात के साथ न्यायालय आप के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से अपास्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) ने नामान्तकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन एवं विवेचन किये बिना ही विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने लायक है। अपीलार्थीगण ने ग्राम ईरास नई तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, 3593 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर कुल किता 03 तीन कुल रकबा 1.2013 हैक्टेयर भूमि अपने हक व हिस्से का हक परित्याग किया था किन्तु पटवारी हल्का ने हक परित्याग पत्र में आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर भूमि का अंकन नहीं होने के बावजूद भी नामान्तकरण में आराजी नम्बर 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3593 रकबा 0.4426 हेक्टेयर, 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर के साथ आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर का अंकन कर सम्पूर्ण खाते का नामान्तकरण प्रत्यर्थीगण के नाम खोल दिया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया गया, जो निरस्त होने लायक है, अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के पक्ष में आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराज़ी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर के बाबत् हक परित्याग पत्र या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है, उसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर में निहित अपीलार्थीगण के हक व हिस्से का भी नामान्तकरण भर दिया जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जॉच व तहकीकात व दस्तावेज का अध्ययन किये बिना ही स्वीकृत कर दिया है जो निरस्त होने लायक है। पटवारी हल्का ने नामान्तकरण संख्या 983 हक परित्याग पत्र के आधार पर भरा है किन्तु हक परित्याग पत्र अध्ययन एवं अवलोकन किये बिना ही, सम्पूर्ण खाता का नामान्तकरण खोला जाने का अंकन कर दिया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकृत कर दिया, जो कि विधि विरुद्ध निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 20.05.2022 को स्वीकृत हुआ, जिसकी अपील अन्दर अवधि 30 दिन में प्रस्तुत नहीं हो पायी क्योंकि अपीलार्थी को गलत नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में किसी प्रकार से नही थी। हाल में सीमाज्ञान कराये जाने हेतु खाते की नकल प्राप्त की तो गलत नामान्तकरण होने की जानकारी हुई, जिससे अपीलार्थीगण ने नामान्तकरण संख्या 983 की नकल दिनांक 23.07.2024 प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई, अपील जानकारी से अन्दर अवधि में प्रस्तुत नही हो पायी है, जिसके लिए धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से प्रस्तुत है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 20.05.2022 को निरस्त करवाया जावें एवं आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर में अपीलार्थीगण का हक व हिस्सा पूर्वत यथावत रखाया जावें।

अपीलार्थी प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 20.05.2022 को स्वीकृत हुआ, जिसकी अपील अन्दर अवधि 30 दिन में प्रस्तुत नहीं हो पायी क्योंकि अपीलार्थी को गलत नामान्तकरण की जानकारी पूर्व में किसी प्रकार से नहीं थी, हाल में अपीलार्थी द्वारा सीमाज्ञान कराये जाने हेतु खाते की नकल प्राप्त की तो जानकारी में आया की, कि गलत नामान्तकरण हुआ है, जिससे नामान्तकरण संख्या 983 की नकल दिनांक 23.07.2024 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई, जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत नही हो पायी क्योंकि अपीलार्थीगण ने सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त कर, अपना अधिवक्ता नियुक्त कर, अपील तैयार करवा अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत है। मामला अचल सम्पति से सम्बन्धित होकर कृषि आराजियात का है तथा अपीलार्थी कम पढे लिखे हुऐ होकर, हस्ताक्षर करना जानते है, जो कानून की पैचिदगियो से अनभिज्ञ है. इसलिए अपील का निरस्तारण गुणाव गुण पर किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगा। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का स्वीकार करवाया जाकर अपील को विलम्ब से प्रस्तुत करने में हुऐ समय को कन्डोन किया जाकर अपील को मियाद में शुमार करवायी जाकर, अपील का निस्तारण गुणावगुण पर कराया जावें।

अपीलार्थीगण का अपील प्रार्थनापत्र पंजीबंद्ध किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से लगायत 03 स्वंय उपस्थित होकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार करनें में आपत्ति प्रकट नहीं की है। अपीलार्थीगण ने अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 कानून मियाद का प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 23.07.2024 को हुई। दिनांक 16.10.2024 को अपील पेश करते हुये अपील पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य करने की प्रार्थना की गयी है न्याय की दृष्टि से अपीलार्थीगण को अपील में पेश करने में हुयी देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलार्थी अधिवक्ता अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये ग्राम ईरांस नई, पटवार हल्का सुवाणा तहसील भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 14.05.2022 में आराजी नम्बर 3592 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3593 ररकबा 0.4426 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3594 रकबा 1.6692 हैक्टेयर के साथ आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर का अंकन कर सम्पूर्ण भूमि के खातें का नामान्तकरण प्रत्यर्थीगण के नाम खोल दिया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) ने स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रत्यर्थीगण के पक्ष में आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर के बाबत् हक परित्याग पत्र या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया है, उसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने आराजी नम्बर 3087 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4519/3088 रकबा 1.7071 हैक्टेयर में निहित अपीलार्थीगण के हक व हिस्से का भी नामान्तकरण भर दिया गया है जो त्रृटिपूर्ण है। अपीलार्थीगण की अपील उपरोक्त विवेचन अनुसार स्वीकार योग्य ठहरती है।

—:: आदेश ::—

अपील अपीलार्थीगण अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय (ग्राम पंचायत सुवाणा) द्वारा ग्राम ईरांस नई, पटवार हल्का सुवाणा तहसील भीलवाडा के नामान्तकरण संख्या 983 दिनांक 14.05.2022 पर पारित नामान्तकरण आदेश को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम ईरांस नई, पटवार हल्का सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 3592, 3593, 3594 की रजिस्टर्ड डीड दिनांक 08.04.2022 के आधार पर पुनः नामान्तकरण कार्यवाही करें। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावें।

(दिव्यराज सिंह [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा